


विद्यार्थी-संगीत

16/11/2024 - पत्राचारार्थी विद्यार्थी 338 | अक्षय शर्मा  
अक्षय शर्मा | अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा  
अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा  
अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा अक्षय शर्मा

अमल विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया  
 जाता है तथा शही काथ्य की डिकी जारी की जाती  
 है कि मौजा लाखीगा वी अक्षरा नंबर 175, 177,  
 178, 179, 189 कुल रकबा 6.48 हेक्टर अमि में  
 से 48 हिस्सा में वादी का नाम असरज ब्या कुज  
 बाबूस्या वी स्थान पर असरज मोहम्मद पुत्र  
 बाबूआह दर्ज किया जाके राजस्व रेकॉर्ड में  
 अमल दरामद किया जाके। तदानीमात सिंपलरी  
 उपरीलनुंसार संशोधन कर राजस्व रेकॉर्ड में  
 अमल दरामद कर राजस्व रेकॉर्ड को डिकेले किया  
 जाके। पत्रपत्नी पंचमल मुमाए होकर बाद जाण  
 कार्यवाही वी नंबर से काम होकर दालिल रफ्तार है।

  
 उपखण्ड अधिकारी रियांबंदी  
 जिला-नागौर

(Faint handwritten text, possibly a date or reference number, including '18/11/20' and other illegible characters)